कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, श्रावस्ती प्रांगण के बाहर की रिक्त भूमि पर 01 अस्थाई मोटर यान/मोटर साईकिल/साईकिल स्टैण्ड, 02 अदद चाय स्टाल आदि की दुकान, 01 अदद पेपर वेण्डर की दुकान व एक अदद फल की दुकान हेतु अस्थाई वेण्डिंग जोन के सम्बन्ध में खुली बोली के द्वारा सार्वजनिक नीलामी दिनांक 16–09–2022 को सायंकाल 3.30 बजे से 4.30 बजे तक जनपद न्यायालय, श्रावस्ती के केन्द्रीय सभागार में नीलामी समिति के अध्यक्ष श्री उमेश कुमार–।।, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, श्रावस्ती की अध्यक्षता में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

जिला न्यायालय श्रावस्ती के वाह्य परिसर में उक्त स्टैण्ड एवं दुकानों हेतु दी जाने वाली अस्थाई वेण्डिंग जोन की नीलामी की शर्तो का विवरण इस प्रकार है–:

कम संख्या	**धरोहर धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2022–23 की शेष अवधि के लिए दुकानों/स्टालों की नीलामी हेतु निर्धारित की गयी न्यूनतम धनराशि**
1– मोटर यान/मोटर साईकिल/साईकिल स्टैण्ड	25,000/–	2,50,000/–
2–01 अदद चाय स्टाल प्लाट संख्या–E	5,000/–	50,000/–
3– 01 अदद चाय स्टाल प्लाट संख्या–D	5,000/–	50,000/–
4– 01 अदद फल की दुकान प्लाट संख्या–C	5,000/–	50,000/–
5– 01 अदद पेपर वेंडर प्लाट संख्या–B	5,000/–	50,000/–

नीलामी की शर्ते व नियम निम्न प्रकार से होंगे–

1– ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक होगी।

2– नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 16–09–2022 को दोपहर 2.00 बजे तक धरोहर धनराशि जमाकर सायं ~~4.00~~ 4.30 बजे तक नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं।

3– उक्त परिसर में नशीली व अन्य अवैध वस्तुए, प्लास्टिक, पालीथीन व धुम्रपान की वस्तुऐ व ज्वलनशील पदार्थ नहीं बेची जायेंगी।

4– ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थायें एवं स्टाल सम्बन्धी अस्थाई व्यवस्थाऐं स्वयं करेंगे।

5– ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

6– नीलामी ठेका पक्ष में होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100 रूपये के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा, उसे इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय–समय पर पारित होने वाले आदेशों का पालन करना होगा।

7– ठेकेदार ऐसे दो व्यक्ति को जमानतदार के रूप में नाम पता मय आधार कार्ड प्रस्तुत करेगा जिससे ठेकेदार द्वारा धनराशि जमा न करने पर धनराशि वसूल की जायेगी।

8– यदि एक ही बोलीदाता एक से अधिक दुकान/स्टाल की बोली में भाग लेना चाहता है तो उसे प्रत्येक दुकान/स्टाल के लिए अलग–अलग धरोहर राशि जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता को दुकान/स्टाल का ठेका नहीं मिलता है तो उसकी सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी।

9– प्रत्येक ठेकेदार को ठेके की धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी।

10– किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने के उपरान्त उसे निरस्त नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता नीलामी का प्रथम त्रैमास की किश्त जमा करने के उपरान्त ठेका चला नहीं पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11– ठेका अवधिपूर्ण होने पर 31 मार्च, 2023 को ठेकेदार अपना सामान स्वयं उठायेंगे एवं भूमि का कब्जा प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय नजारत अनुभाग को उसी अवस्था में देंगे जिस अवस्था में उन्हें प्रदान किया गया था।

12– सफल बोलीदाता की धरोहर राशि चतुर्थ त्रैमास की किश्त में समायोजित की जायेगी।

13– आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति वाले, पूर्व में ठेके की किश्त न जमा करने वाले व्यक्तियों को जमानतीयों की बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये ठेके को निरस्त किया जा सकता है।

14– प्रत्येक वस्तु की मूल्य सूची ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय नजारत अनुभाग को उपलब्ध करानी होगी। ठेकेदार खाद्य पदार्थो के मूल्यों की एक सूची ठेके के स्थान पर चस्पा करेगा एवं उक्त सूची में अंकित खाद्य पदार्थ उक्त मूल्य से अधिक दर पर नहीं बेचेगा।

15– खाद्य पदार्थ की वस्तुऐं मानक के अनुरूप होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ की जांच ठेके की अवधि में किसी भी समय कराई जा सकेगी। खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त क्षेत्राधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।

16— माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ठेके की नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले अवांछनीय व्यक्ति का ठेका बिना किसी कारण के निरस्त कर सकते हैं एव उसे कम बोली की नीलामी लगाने वाले उपयुक्त व्यक्ति का ठेका स्वीकार कर सकते है।

17— ठेका लेने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को ठेका हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो ठेका निरस्त कर शेष धनराशि एकमुश्त जमा कराई जायेगी।

18— सफल बोली दाता को ठेका स्वीकृत हो पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है, उतनी ही धनराशि की स्वयं के नाम पर दर्ज चल–अचल सम्पत्ति के दस्तावेज की छायाप्रति केन्द्रीय नजारत मे उपलब्ध कराने होंगे।

19— अपरिहार्य परिस्थितियों में नीलामी तिथि को स्थगित करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।

उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त केन्द्रीय नाजिर से अपेक्षा की जाती है कि नीलामी के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, श्रावस्ती की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करेंगे एवं जन सूचना अधिकारी को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु सूचना प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। नीलामी की सूचना जनपद की समस्त नगर पालिकाओं, जिलाधिकारी एवं न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाना अपेक्षित है।

उक्त ठेका नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी दिवस से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.30 बजे तक के मध्य केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय श्रावस्ती में सम्पर्क कर के प्राप्त किया जा सकता है।

31/8/2022

(श्री उमेश कुमार– II)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/
एस0टी0, एक्ट, श्रावस्ती।

Recd for uploading
1.09.22